भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- #309

उत्तर देने की तारीख- 24/07/2024

छत्तीसगढ़ के आंतरिक रूप से विस्थापित जनजातीय समुदाय

309 # श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से आदिवासी समुदाय 'आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (आईडीपी)' की श्रेणी में हैं और उनकी संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद सहित प्रवासन के कारण प्रभावित स्थानीय जनजातीय समुदायों के नाम और विवरण निम्नानुसार हैं:-

ज़िला	सर्वेक्षण किये गये गांवों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित स्थानीय जनजातियों के नाम
सुकमा	85	2229	9702	दोरला, मुरिया, धुर्वा
बीजापुर	08	119	579	दोरला, मुरिया और गोंड
दंतेवाड़ा	10	41	208	मुरिया, माड़िया, गोंड, हल्बा

छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती जिलों के गांवों में सर्वेक्षण दल गठित कर सर्वेक्षण कराया गया था। प्रभावित परिवार राज्य सरकार की पुनर्वास योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने और सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अपने मूल गांव/स्थान पर लौटने को तैयार नहीं हैं।

आगे, भारत के संविधान [सातवीं अनुसूची - सूची ii (राज्य सूची) - प्रविष्टि संख्या (18)] के तहत भूमि और उसका प्रबंधन राज्यों के विशेष विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जब भी किसी बुनियादी ढांचे की परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013)" का अनुपालन सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। इसलिए, अनुसूचित जनजाति की आबादी के विस्थापन के बारे में डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया और तरीके निर्धारित करता है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की पहली अनुसूची भूमि मालिकों के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है। आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 की धारा 3(द)(ii) के अनुसार, भूमि मालिक में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे एफआरए, 2006 (2007 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किया गया है। पहली अनुसूची में प्रदान किए गए के साथ, दूसरी अनुसूची में सभी प्रभावित परिवारों (भूस्वामी और वे परिवार जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है, दोनों) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अवयव का प्रावधान है। इसी तरह, तीसरी अनुसूची पुनर्व्यस्थापन क्षेत्र में उचित रूप से रहने योग्य और नियोजित बंदोबस्त के लिए ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान करती है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013, एफआरए के तहत स्वामित्व धारकों को धारा 41 और 42 के तहत, अनुसूचित जनजाति के विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

*****